

(राजनैतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार पत्रों/ टी वी में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंव अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम-
निर्वाचन का नाम-
राज्य शासित क्षेत्र का नाम-समाजवादी पार्टी
विधानसभा उप निर्वाचन 2023
उत्तर प्रदेश

1.	2.	3.	4.		5.		
क्र० सं०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(क)लंबित आपराधिक मामले		(ख)आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामला (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (धों) का संक्षिप्त विवरण	न्यालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (तारीखें)	अपराध (धों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1	354- घोसी	सुधाकर	1-मा० न्याया० मु० न्यायिक मजिस्ट्रेट 264/75 विचाराधीन	धारा- 36/43 डी.आर. 01188 भा०द०प्र०सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			2-मा० न्याय० मु० न्यायिक मजि० 127/78 विचाराधीन	धारा 394 द० प्र० सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			3-मा० न्याया० मु० न्याय० मजि० 85/85 विचाराधीन	धारा- 147, 148, 149, 337, 427, 307, 436, 332 द० प्र० सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			4-मा० न्याया० मु० न्याय० मजि० 93/86 विचाराधीन	धारा- 332, 353, 224, 225 द० प्र० सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			5- मा० न्याया० मु० न्याय० मजि० 825/08	धारा- 188	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			6- मा० न्याया० मु० न्याय० मजि० 1514/11	धारा- 143, 188, 283, 341 द० प्र० सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			7- मा० न्याया० मु० न्याय० मजि० 40/12	धारा- 353, 504, 506 द० प्र० सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			8- मा० न्याया० मु० न्याय० मजि० 239/77	धारा- 147,323,325, द० प्र० सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं